



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-31.05.2024

विषय:- “आपरेेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना मंडुवाडीह में चोरी के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को 01 वर्ष के कारावास व 2000/- रु0 अर्थदण्ड ।

थाना मंडुवाडीह, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-20/2024 धारा 379,411,414 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्त राजेश कुमार पुत्र राजेपाल निवासी रसूलाबाद सुभाषनगर थाना असीवन जनपद उन्नाव हाल पता- बिन्द बस्ती शिवदासपुर थाना मंडुवाडीह जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक मंडुवाडीह व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक-29.05.2024 को माननीय न्यायालय JM-II वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त राजेश कुमार उपरोक्त को अंतर्गत धारा 379 भा0द0वि0 मे 01 वर्ष के कारावास व 1000/- रु0 के अर्थदण्ड से एवं धारा 411 भा0द0वि0 मे 01 वर्ष के कारावास तथा धारा 414 भा0द0वि0 मे 01 वर्ष के कारावास व 1000/- रु0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।